अध्याय X : गृह मंत्रालय

10.1 राज्यों के पास पड़ी अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता

गृह मंत्रालय "वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों हेतु पुलिस स्टेशनों/आउटपोस्टों के निर्माण" की योजना के अंतर्गत राज्यों के पास पड़ी अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता की निधियों को प्रभावी रूप से निगरानी करने में विफल रहा जिसका परिणाम योजना के समापन के तीन वर्षों के पश्चात् भी आठ राज्यों के पास व्यर्थ पड़ी कुल ₹52.18 करोड़ की बचतों (उस पर ब्याज सिहत) मे हुआ जबिक मध्य प्रदेश में, राज्य ने ₹3.79 करोड़ की बचतों का दो अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण में उपयोग किया था जो संस्वीकृति के अभाव में, अनियमित था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर गृह मंत्रालय ने ₹22.69 करोड़ की वसूली की है जबिक ₹33.28 करोड़ अभी भी वसूल किए जाने है।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) उपयोग प्रमाण पत्रों (यूसी) के तंत्र जिसमें यह प्रकटन शामिल हो कि निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह संस्वीकृत की गई थी तथा वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रही शेष राशि का सरकार को अभ्यर्पण कर दिया गया है, के माध्यम से अन्दानों के उपयोग की निगरानी की परिकल्पना करती है।

"दृढ़ पुलिस स्टेशन का निर्माण/सुदृढ़ीकरण" की योजना (2010-2016) ने 10¹ राज्यों² में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित 83 जिलों में 400 पुलिस स्टेशनों/आउटपोस्टों के निर्माण की अभिकल्पना की थी। प्रति पुलिस स्टेशन (पीएस) निर्माण की अनुमानित लागत ₹2.00 करोड़ निर्धारित की गई थी। केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता 80:20 के आधार (80 प्रतिशत लागत, जो ₹1.60 करोड़ से अधिक न हो, को केन्द्र द्वारा पूरा किया जाना है तथा 20 प्रतिशत लागत आधिक्य सहित, यदि कोई हो तो, राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना है) पर प्रदान की गई थी। अप्रैल 2016 के बाद से योजना पर अमल करना बन्द कर दिया गया था।

पारम्भतः में 9 राज्यः तेलंगाना राज्य के निर्माण के पश्चात 10 राज्य

आन्ध्र प्रदेश (17), बिहार (85), छत्तीसगढ़ (75), झारखण्ड (75), मध्य प्रदेश (12), महाराष्ट्र (10), ओडिशा (70), तेलंगाना (23), उत्तर प्रदेश (15) तथा पश्चिम बंगाल (18)।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में राज्यों को कुल ₹623.89 करोड़ की निधियां जारी की। अगस्त 2019 तक, ₹751.33 करोड़ की लागत पर 397 पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया था जबकि बिहार में तीन पीएस का निर्माण अभी भी चल रहा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएचए, राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से योजना की निगरानी करते समय परियोजनाओं के समापन पर, जीएफआर के उल्लंघन में, राज्यों के पास पड़े अप्रयुक्त केन्द्रीय अंश को वस्लने में विफल रहा। लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर गृह मंत्रालय ने मई 2018 में राज्य सरकारों से अप्रयुक्त केन्द्रीय अंश पर सूचना की मांग की। सितंबर 2019 तक की स्थिति से प्रकट हुआ कि आठ राज्यों में कुल ₹52.18 करोड़ की बचतें (उस पर ब्याज सिहत) थी जबिक मध्य प्रदेश ने ₹3.79 करोड़ की अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता का उपयोग दो अतिरिक्त पीएस के निर्माण पर किया गया था। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में एमएचए ने बताया (अक्तूबर 2018/जून 2019) कि आंबटित निधियों से बचतों में से अतिरिक्त पुलिस स्टेशनो के निर्माण/सुदृढ़ीकरण का एक प्रस्ताव 2016 में रखा गया था परंतु अंततः मई 2018 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे गिरा दिया गया था जिसके पश्चात् ₹22.69 करोड़ की राशि राज्यों से वसूली की गई थी।

तथापि, ₹33.28 करोड़ की राशि अभी भी राज्यों से वसूल की जानी है (अनुलग्नक-10.1) अथवा अनुवर्ती सहायता के प्रति समायोजित की जानी है।

³ आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलगांना, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।